रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072023-247483 CG-DL-E-20072023-247483

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3116] No. 3116] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2023/आषाढ़ 29, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2023/ASHADHA 29, 1945

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

> > अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2023

सं. 20/2023

विषयः एचएस कोड 1006 30 90 के तहत गैर-बासमती चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3249(अ).—केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), निर्यात नीति की अनुसूची—2 के अध्याय 10 के आईटीसी (एचएस) कोड 1006 30 90 के तहत गैर—बासमती चावल की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है;

आईटीसी (एच कोड	ाएस)	विवरण		निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
1006 30 9	या संपूर्ण	ती सफेद चावल (सेमी–िम रुप से मिल्ड चावल, चार्ह । या चमकीला हो या न ह	हे पॉलिश	मुक्त	निषिद्ध

4687 GI/2023 (1)

- 2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान गैर—बासमती चावल के निर्यात के लिए इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे। गैर—बासमती चावल की खेपों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्यात किए जाने की अनुमति होगी:
 - i. जहां गैर बासमती चावल को पोत पर लादने का कार्य इस अधिसूचना के पहले शुरु हो गया है;
 - ii. जहां इस अधिसूचना से पहले शिापिंग बिल फाइल कर दिया गया है और भारतीय पत्तनों पर पोत की बर्धिंग हो चुकी है या वह पहुंच चुका है और लंगर डाल चुका है और उनका रोटेशन नम्बर आवंटित किया जा चुका है, ऐसे पोतो में लदान का अनुमोदन इस अधिसूचना से पहले गैर बासमती चावल के लदान के लिए पोत के लंगर डालने / बर्धिंग के संबंध में संबंधित पत्तन प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि के बाद ही जारी किया जाएगा।
 - iii. जहां गैर बासमती चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमा" शुल्क प्राधिकारियों को सौपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है / जहां गैर—बासमती चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले निर्यात हेतु सीमा" शाुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुकी है और 20.07.2023 से पहले इन वस्तुओं की सीमा" शुल्क स्टेशन में प्रवेश करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ सीमा" शुल्क स्टेशन के अभिरक्षक संबंधित की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि 31.08.2023 तक होगी।
 - iv. अन्य देशों को निर्यात उनकी खाद्य सुरक्षा को पूरा करने और उनकी सरकारों के अनुरोध के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने के आधार पर अनुमत होगा।
- 3. जैविक गैर-बासमती चावल का निर्यात दिनांक 29 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 45/2015-2020 के साथ पठित दिनांक 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना सं. 03/2015/2020 के अनुसार अभिशासित होगा।

4. इस अधिसूचना का प्रभावः

एचएस कोड 1006 30 90 के तहत गैर-बासमती सफेद चावल (सेमी-मिल्ड या संपूर्ण रुप से मिल्ड, चाहे पॉलिश किया हुआ या चमकीला हो या नही हो: अन्य) की निर्यात नीति 'मुक्त' से संशोधित करके 'निषिद्ध' की गई है।

[फा. सं. 01/91/171/010/एएम—23ईसी/ई—33294] संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2023

No. 20/2023

Subject: - Amendment in Export Policy of Non-basmati rice under HS Code 1006 30 90.

S.O. 3249(E).— The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, hereby amends the Export Policy of Non-basmati rice against ITC (HS) code 1006 30 90 of Chapter 10 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:

ITC HS Codes	Description	Export Policy	Revised Export Policy
1006 30 90	Non-basmati white rice (Semi-milled or	Free	Prohibited
	wholly milled rice, whether or not polished		
	or glazed: Other)		

- 2. The Notification will come into immediate effect. The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2023 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification for export of Non-basmati rice. Consignments of Non-basmati rice will be allowed to be exported under following conditions:
 - i. where loading of Non-basmati rice on the ship has commenced before this Notification;
 - ii. where the shipping bill is filed and vessels have already berthed or arrived and anchored in Indian ports and their rotation number has been allocated before this Notification; The approval of loading in such vessels will be issued only after confirmation by the concerned Port Authorities regarding anchoring/berthing of the ship for loading of Non-basmati rice prior to the Notification;
 - iii. where Non-basmati rice consignment has been handed over to the Customs before this Notification and is registered in their system / where Non-basmati rice consignment has entered the Customs Station for exportation before this Notification and is registered in the electronic systems of the concerned Custodian of the Customs Station with verifiable evidence of date and time stamping of these commodities having entered the Customs Station prior to 20.07.2023. The period of export shall be upto 31.08.2023.
 - iv. Export will be allowed on the basis of permission granted by the Government of India to other countries to meet their food security needs and based on the request of their Government.
- 3. Export of Organic Non-basmati rice will be governed in accordance with Notification No.03/2015-2020 dated 19th April, 2017 read with Notification No.45/2015-2020 dated 29th November, 2022.

4. Effect of this Notification:

Export Policy of Non-basmati white rice (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed: Other) under HS code 1006 30 90 is amended from 'Free' to 'Prohibited'.

[F. No. 01/91/171/010/AM23EC/e- 33294]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.